

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 42/14
संस्थापन दिनांक:-27/01/14
फाईलिंग नं. 233504000462014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. भादया पिता विक्रम सिंह राजपूत, उम्र 48 वर्ष
2. चैनसिंह पिता भादया सिंह राजपूत, उम्र 30 वर्ष
 दोनों निवासी ग्राम उमरिया,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 10.10.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452, 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.01.2014 को समय रात करीब 10:30 बजे या उसके लगभग फरियादी के मकान ग्राम उमरिया थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी निर्मलाबाई के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं फरियादी को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी निर्मलाबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी निर्मलाबाई को हाथ मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी निर्मलाबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 16.01.2014 को रात करीब 10:30 बजे नल से पानी भर रही थी, तभी अभियुक्तगण आये और उसे मां बहन की गालियां देने लगे। फरियादी द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने उसे हाथ मुक्को से पीठ, गाल पर मारा। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 49/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र

न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी के मकान ग्राम उमरिया थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी निर्मलाबाई के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया ?
2. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
3. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
4. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
6. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी निर्मलाबाई को हाथ मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
7. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
8. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
9. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 02, 03, 04 एवं 08 का निराकरण

5 निर्मलाबाई (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां

दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी निर्मलाबाई (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में फरियादी निर्मलाबाई (अ.सा.-4) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी निर्मलाबाई (अ.सा.-4) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 05, 06 एवं 07 का निराकरण

8 निर्मलाबाई (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त भादया ने उसके बाल पकड़े। फिर अभियुक्त भादया और चैनसिंह ने हाथ मुक्के से मारपीट की। उसे अभियुक्तगण ने पूरे शरीर में मारा था।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 17.01.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत निर्मला का परीक्षण किये जाने पर उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये थे परंतु आहत को दाहिने गाल एवं पीठ में दर्द था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) को प्रमाणित किया है।

10 बिसनसिंह (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 18.01.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध

क्र. 49/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-5 तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण चैनसिंह एवं भादया सिंह को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। फरियादी निर्मलाबाई ने भी अभियोजन के अनुरूप कथन नहीं किये हैं जिससे अभियोजन में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में इंद्राबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे केवल इतना सुनने में आया था कि निर्मला और अभियुक्तगण का झगड़ा हुआ था। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। महेंद्र (अ.सा.-2) ने भी घटना के बारे में कोई जानकारी न होना बताया है। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन का कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है परंतु न्यायालय के मत में सामान्य परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में गवाही देने से बचता है। अतः मात्र स्वतंत्र साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला धराशयी नहीं हो जाता है।

13 अभिलेख पर मात्र फरियादी/आहत निर्मलाबाई की साक्ष्य उपलब्ध है। आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552** उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः फरियादी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं ?

14 निर्मलाबाई (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना रात के 10:30 बजे की है। घटना के समय वह नल से पानी भर रही थी। नल घर से थोड़ी दूर है। जिस समय वह पानी भर रही थी उस समय अभियुक्तगण आये और उससे कहा कि लड़की को भिजवा रहे हो या नहीं तब उसने कहा कि लड़की तैयार नहीं है कैसे भिजवा दूं। इसी बात पर से अभियुक्त भादया ने उसके बाल पकड़े और फिर दोनों अभियुक्तगण ने उसकी हाथ मुक्कों से मारपीट की।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि जब वह पानी की गुंडी लेकर अपने घर के अंदर आ गयी तब अभियुक्तगण उसके पीछे आये और घर के अंदर घुसकर बाल पकड़कर पटक दिया और मारपीट की।

15 निर्मलाबाई (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने और उसकी बेटी ने अभियुक्तगण की दहेज प्रताड़ना की शिकायत की थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना के समय मौके पर कोई नहीं था और कोई बचाने के लिए भी नहीं आया था। स्वतः में साक्षी ने कहा कि इंदावती, महेंद्र और गांव के अन्य लोग बचाने के लिए आये थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में साक्षी ने यह बताया है कि उसकी मारपीट से पीठ पर चोट आयी थी, खून निकला था और सूजन आयी थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे बारीक सी लकड़ी से मारा था। बचाव अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय यह बता दिया था कि अभियुक्तगण उसके पीछे घर के अंदर आये और बाल पकड़कर गिरा दिया था।

16 अभियोजन कथा अनुसार घटना के समय फरियादी नल से पानी भर रही थी, तभी अभियुक्तगण आये और उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे। फरियादी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण उससे यह कह रहे थे कि लड़की को कब भिजवा रही हो तब उसने कहा कि लड़की जाने को तैयार नहीं है कैसे भिजवा दूं। इसी बात पर से विवाद हुआ परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी लेख है कि अभियुक्त चैनसिंह उसकी लड़की को नहीं रख रहा है। इस तरह फरियादी निर्मला (अ.सा.-1) ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं और एक नई कहानी मुख्य परीक्षण में बतायी है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि जिस जगह पर फरियादी पानी भर रही थी उसी जगह पर मारपीट हुई, घर के अंदर मारपीट किये जाने की कोई भी घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। स्वयं फरियादी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में घर के बाहर जिस जगह पर वह पानी भर रही थी वहां की घटना होना बताया है परंतु अभियोजन अधिकारी द्वारा सुझाव दिये जाने पर फरियादी ने यह बताया है कि वह पानी की गुंडी लेकर घर के अंदर गयी और अभियुक्तगण पीछे-पीछे उसके घर के अंदर आये और घर के अंदर भी उसकी मारपीट की। स्पष्टतः फरियादी के कथनों से अभियोजन कथा को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। फरियादी निर्मलाबाई ने अभियुक्तगण द्वारा लकड़ी से मारपीट करना अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है, पीठ पर चोट आना बताया है परंतु साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण के द्वारा हाथ मुक्के से मारना बताया है। स्पष्टतः साक्षी के स्वयं के कथनों में विरोधाभास है। साथ ही साक्षी के चिकित्सकीय परीक्षण में कोई भी बाह्य प्रत्यक्ष दर्शी चोट नहीं पायी गयी है। यह अत्यन्त अस्वाभाविक है कि दो व्यक्ति एक महिला को मारे और उसे मामूली से खरोच भी न आये। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण

को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 09 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक व समय पर फरियादी निर्मलाबाई के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहति हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं फरियादी को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी निर्मलाबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी निर्मलाबाई को हाथ मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी निर्मलाबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण भादया एवं चैनसिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 294, 323/34, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)